न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2026 बउनवानी राजेन्द्र सिंह तोमर **बनाम** तहसीलदार गंगापुर सिटी (राजा भईया) एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट , आई–26/1 , गली नम्बर 10 ब्रम्पुरी दिल्ली 110053

GCMS No-2026/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
18.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.11..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **"ग्राम मिर्जापुर के ख0न0 138,,1252/135, ग्राम महॅुखुर्द के खवन0 18/340, ख0न0 16 व 18 को लेकर बिन्दु संख्या 2,4,5,7 की प्रमाणित प्रति** "तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सू.का.अ./2026/488 दिनांक 18.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2025 के बिन्दु संख्या 2,4,5,7 की सूचना मे से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 2 की सूचना भिजवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 4,5,7 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील कार्यालय से नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,4,5,7 की सूचना मे से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 4,5,7 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील कार्यालय से नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु यदि उक्त बिन्दु की सूचना का संबंध तहसील गंगापुर सिटी से नही था तो अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना चाहिए था तो नही किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों मे चाही गयी सूचना का संबंध आपके कार्यालय से नही होने पर अधिनियम की तय समय सीमा मे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जावे। अपीलान्ट उक्त बिन्दु की सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner